रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/ MAGHA 30, 1937

IndiaCode

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2016

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

सं. 11012/248/2015–प्रशासन.–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–**(1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 की अनुसूची में :–

(क) मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के सामने, कॉलम 2 में शीर्षक और प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :–

पद की संख्या
2
26 (2016)

(ख) मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन और मानव संसाधन) के पद के सामने, कॉलम 2 में, शीर्षक और प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात :–

पद की संख्या
2
2 (2016)

सतीश चन्द्रा, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन–III/4/असा./375/122]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम अधिसूचना सं. एनएचएआर–12011/1/95–प्रशा., तरीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें गत संशोधन अधिसूचना सं 11012/248/2015–प्रशा., तारीख 16 नवम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 19 नवम्बर, 2015, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2016

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

No. 11012/248/2015-Admn.–In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. **Short title and commencement:-**—(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996:—

(a) against the post of Chief General Manager (Technical), in column 2, for the heading and entry, the following heading and entry shall be substituted namely:-

No. of post
2
26 (2016)

(b) against the post of Chief General Manager (Administration & Human Resource), in column 2, for the heading and entry, the following heading and entry shall be substituted namely:-

No. of post
2
2 (2016)

SATISH CHANDRA, Member (Administration)

[ADVT-III/4/Exty./375/122]

Foot Note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No. 11012/248/2015-Admn, dated 16th November 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 19th November 2015.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.